प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3622/2007

याचिकाकर्ता - नारायण श्रीवास

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 02 जुलाई, 2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3622/2007

याचिकाकर्ता - नारायण श्रीवास, पिता राम श्रीवास, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम चिंदपुर, विकासखण्ड एवं तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के माध्यम से, सहकारी समिति विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

2. पंजीयक, सहकारी समितियां, छत्तीसगढ़, तेलीबांधा, बायपास रोड, रायपुर (छ.ग.)

3. उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला कोरबा (छ.ग.)

4. निर्वाचन अधिकारी, आदिवासी सेवा सहकारी समिति मर्यादित, भिलाई बाजार, जिला कोरबा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थित:

श्री भास्कर त्यासी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री यशवंत सिंह ठाकुर, शासकीय अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से।

....

आदेश

(दिनांक 02 जुलाई, 2007 को पारित)

1. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 31.05.2007 (अनुलग्नक पी./5) को पारित आदेश की वैधता एवं औचित्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा आदिवासी सेवा सहकारी

समिति मर्यादित, लैम्प्स, भिलाई बाजार, जिला कोरबा (संक्षेप में 'समिति') के लिए दिनांक 28.05.2007 को प्रस्तावित निर्वाचन को निरस्त कर दिया गया।

2. इस याचिका के निराकरण हेतु सुसंगत निर्विवाद तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम (अनुलग्नक पी./1) घोषित किया। उक्त समिति के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17.05.2007 निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता सहित 12 अन्य ग्रामवासियों/सदस्यों ने निर्वाचन अधिकारी/उत्तरवादी क्रमांक 4 के निर्देशानुसार समिति प्रभारी के समक्ष अपने-अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। जांच के उपरांत 13 में से 2 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए तथा 11 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में शेष रहे। उक्त निर्वाचन दिनांक 28.05.2007 को निर्वाचन अधिकारी/उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा संपन्न कराया जाना था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दिनांक 28.05.2007 को आयोजित बैठक के दौरान विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। ग्रामवासियों ने इस आधार पर निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन संपन्न नहीं करने दिया कि शिवचरण अग्रवाल के पैनल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाए। ग्रामवासियों द्वारा उत्पन्न असामान्य स्थिति के कारण निर्वाचन अधिकारी को यह धमकी दी गई कि यदि उक्त पैनल को निर्वाचित घोषित नहीं किया गया, तो उन्हें गांव से जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन संपन्न नहीं हो सका और निर्वाचन अधिकारी को स्थल छोड़कर जाना पड़ा।

4. तत्पश्चात निर्वाचन अधिकारी ने दिनांक 31.05.2007 (अनुलग्नक पी./5) के आदेश/पत्र के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम को तत्काल निरस्त कर दिया तथा इसकी सूचना उप/सहायक पंजीयक (लेखा परीक्षण), सहकारी समितियां, कोरबा को प्रेषित की। उक्त आदेश से आहत होकर याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत की है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि 2 नामांकन पत्र निरस्त होने के पश्चात शेष 11 अभ्यर्थियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए था, क्योंकि

कुल 11 सदस्यों का निर्वाचन होना था। द्वितीयतः यह भी तर्क दिया गया कि निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

6. याचिकाकर्ता तथा राज्य/उत्तरवादीगण के अधिवक्ताओं को सुनने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामवासियों द्वारा उत्पन्न विधि-व्यवस्था की स्थिति के कारण निर्वाचन अधिकारी के लिए निर्वाचन संपन्न कराना तथा शेष अभ्यर्थियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करना संभव नहीं था। यह भी आवश्यक था कि नामांकन पत्रों की स्वीकृति के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों का परीक्षण किया जाए। यह कथित किया गया कि कुछ नामांकन पत्र विजय रजक के पास लंबित थे, जिनका परीक्षण निर्वाचन से पूर्व किया जाना आवश्यक था। ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के नियम 41 के अनुसार नामांकन पत्रों की विधिवत जांच करने की स्थिति में भी नहीं था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, पूर्व निर्धारित तिथि पर निर्वाचन का विधिवत एवं निष्पक्ष संचालन करना निर्वाचन अधिकारी के लिए संभव नहीं था।

8. नवीन निर्वाचन कार्यक्रम (अनुलग्नक पी./7) पूर्व में ही अधिसूचित किया जा चुका है, जिसके अनुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.06.2007 निर्धारित की गई तथा निर्वाचन 09.07.2007 को संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है।

9. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित हो जाने के पश्चात, न्यायालय को अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर उसमें हस्तक्षेप करने से विरत रहना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति विद्यमान नहीं है। पूर्व में अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निरस्त किया गया था तथा एक माह से भी कम अवधि में नया निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अतः समस्त पहलुओं से विचार करने पर, इस चरण पर निर्वाचन कार्यक्रम (अनुलग्नक पी./7) में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

10. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में, यह याचिका किसी भी प्रकार के गुण-दोष से रहित पाई जाती है, अतः इसे खारिज किया जाना उपयुक्त है और तदनुसार खारिज की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur